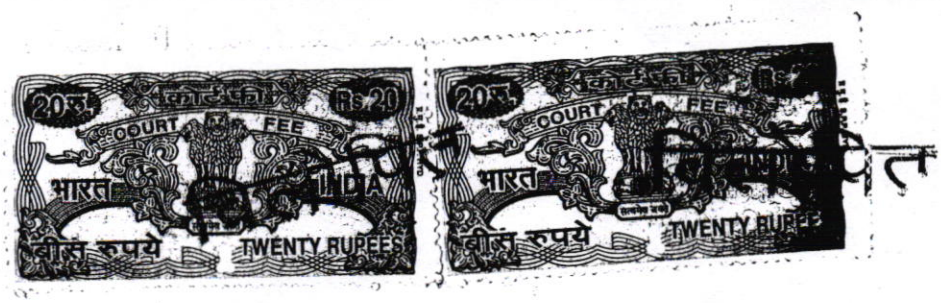

58

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध-3223/2018/जबलपुर/भू.रा.

विविध प्रकरण कमांक जिला - जबलपुर

रामसिंह गौड उम्र 41 वर्ष पिता नबल सिंह गौंड,
निवासी ग्राम परासिया थाना बरगी
तहसील व जिला जबलपुर ---- आवेदक

विरूद्ध

1- श्री विष्णु कुशवाहा
पिता श्री किशोरीलाल कुशवाहा
निवासी शॉप नंबर 18, प्रथम तल,
राबरा शॉपिंग कॉम्पलेक्स कटंगा जबलपुर

2- म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर जबलपुर ---- अनावेदकगण

विविध आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 3210-एक/16 में पारित आदेश दिनाक 21-9-16 द्वारा दी गई अनुमति की शर्त कमांक 3 को विलोपित करने अथवा उक्त शर्त में दी गई समयावधि में वृद्धि बावत)

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, इस न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रकरण कमांक 3210-एक/16 में दिनांक 21-9-16 को आदेश पारित करते हुए आवेदक को शर्तो के साथ भूमि विकय की अनुमति प्रदान की गई है ।

2. यहकि, आदेश की शर्त कं0 3 के अनुसार 4 माह का समय विकयपत्र के निष्पादन हेतु दिया गया है ।

3. यहकि, अनुमति मिलने के उपरांत आवेदक कई बार

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - विविध/3223/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उन्हें इस न्यायालय द्वारा प्र0क्र0 निग0 3210-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 21-9-16 को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है । इस अवधि को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16-1-17 को 4 माह के लिए बढ़ाया गया था । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक उक्त अवधि में तथा उसके उपरांत कई बार उप पंजीयक के समक्ष आवेदित भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने हेतु उपस्थित हुए परंतु उनके द्वारा पूर्व की भांति कहा गया कि क्रेता द्वारा गाइड लाइन से दुगनी राशि अदा करने पर ही विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा । उक्त कारण से अभी तक क्रेता के पक्ष में विक्रयपत्र का पंजीयन नहीं कराया जा सका है और इस न्यायालय द्वारा दी गई अवधि पूर्व में समाप्त हो चुकी है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि क्रेता द्वारा दुगनी राशि अदा करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है और अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि वापिस किए जानेकी मांग की जा रही है, जबकि आवेदक प्राप्त की गई अग्रिम राशि को वापिस देने की स्थिति में नहीं है । उक्त आधार पर उनके द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-9-16 में विक्रयपत्र निष्पादन हेतु दी गई अवधि संबंधी शर्त क्रमांक 3 को विलोपित किये जाने अथवा 6 माह का समय विक्रयपत्र के पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का अनुरोध किया गया है । प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचार के उपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा निगरानी क्रमांक 3210-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 21-9-16 के परिप्रेक्ष्य में विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु शर्त क्रमांक 3 में दी गई अवधि को आज दिनांक से 3 माह के लिए और बढ़ाया जाता है । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशासकीय सदस्य	